5/9/24

पत्रावली पेश। इसी वकील प्रार्थी तथा प्रार्थी स्वयं उप०। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थी स्वयं पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसबाबत इनके द्वारा पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की गई। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थी को सुना गया। वे पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वकील प्रार्थी तथा प्रार्थी के मौखिक निवेदन तथा पत्रावली पर दर्ज टिप्पणी को स्वीकार किया जाकर, पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से इस ऑर्डर दाखिल दफ्तर हो।

(5)

SDO, Nimbahera
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (केकड़ी)

नवीन प्रार्थना-पत्र पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ प्रार्थना-पत्र को विड्रो किया जाता है।

04/09/2024